

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/MIN/149564/2021

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	भास्करपारा कोयला खनन परियोजना हेतु
i	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii	जिला	सूरजपुर
iii	वन प्रभाग	सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि (हेक्टेयर)	515.581 हेक्टेयर
v	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि - 148.795 हे. एवं राजस्व वनभूमि -366.786 हे. कुल प्रभावित वनभूमि 515.581 हे.. वन घनत्व - 0.4 से 0.5
VI	वनस्पति का घनत्व	
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिणाम और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	प्रजाति साल, चार. महुआ, तेन्दु, सीधा, बरगद, आम, जामुन इत्यादि। सैम्पल प्लाट गणना अनुसार संरक्षित/राजस्व वनभूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 12724 वृक्ष है। (वृक्षों का गणना पत्रक प्रजातिवार संलग्न है।)
viii	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण नगण्य है।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	प्रस्तावित स्थल वन सीमा के अंतर्गत है।
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है। प्रमाण-पत्र की छायाप्रति चेकलिस्ट क्रमांक- 27 संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम एवं आवश्यक है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के	प्रस्तावित भास्कर पारा कोल खनन परियोजना में प्रभावित वनभूमि के व्यपर्वतन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण

	भूखण्ड का आकार।	के लिये आवश्यक वैकल्पिक वृक्षारोपण बलरामपुर वनमण्डल, खैरागढ़ वनमण्डल एवं जांजगीर चांपा वनमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरण चेक लिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता भैप।	संलग्न हैं
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न हैं
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	चेकलिस्ट क्रमांक-16 में संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रतिपूरक वनीकरण परियोजना चेक लिस्ट क्रमांक 17 में संलग्न है।
11	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक स्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है
12-	विभाग / जिला प्रोफाईल	जिले का कुल 5181.855 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है।
i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिले का कुल 1655.722 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
ii.	जिले का वनक्षेत्र	27 मामलों में 2679.044 हेक्टर
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	4726.641 है।
iv.	1980 में जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	निरंक
	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	18.680
	ख. वनेतर भूमि पर।	4707.961 है।
v.	वर्ष 2018-19 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	18.680 है।
	क. वनभूमि पर।	भास्कर पारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	S.K.YADAV (I.F.S.) Divisional Forest Officer Surainpur Distt. Surainpur(C.G) सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर

दिनांक : 03.12.2022

स्थान : बस्करपारा / बड़सरा



S.K. YADAV
(I.F.S.)
Divisional Forest Officer
Surainpur Distt. Surainpur(C.G)
सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर